भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 537
01.12.2021 को उत्तर देने के लिए

अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 2019

537. श्री भोला सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 77वें दौर के हिस्से के रूप में अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019 पर नवीनतम सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत में 50 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवारों पर वर्ष 2019 में प्रति परिवार औसतन 75 हजार रुपये का बकाया कर्ज है;
(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ड.) क्या लगभग 70 प्रतिशत बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों से लिया गया था, जबकि पेशेवर साहूकारों से 20.5 प्रतिशत ऋण लिया गया था;
(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 77 वें दौर के भाग के रूप में जनवरी-दिसंबर, 2019 की अवधि के दौरान अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण संबंधी नवीनतम सर्वेक्षण का संचालन किया है। कृषि परिवारों पर ऋण भार और औसत बकाया ऋण प्रति परिवार के ब्यौरे सहित

सर्वेक्षण के परिणाम **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों के ऋण भार को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहल यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) आदि की शुरुआत की है।

(ड़) से (छ): सर्वेक्षण के अनुसार, संस्थागत और गैर-संस्थागत स्रोतों से लिए गए ऋण का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों के ऋण भार को कम करने और इस प्रकार से साहूकारों के पंजे से उन्हें मुक्त कराने के लिए कई प्रमुख पहलें शुरू की हैं। इन योजनाओं/ पहलों में देश में सभी पात्र किसानों के लिए रियायती संस्थागत क्रेडिट सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन ड्राइव, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का गठन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाई) आदि के माध्यम से 3 समकक्ष किस्तों में कृषि परिवारों के लिए 6000 रुपए/-प्रति वर्ष की सहायता शामिल है।

*****

अनुबंध–I

दिनांक 01.12.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 537 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(i) परिवारों की व्यावसायिक श्रेणी के अनुसार दिनांक 30/06/2018 की स्थिति तक परिवारों की संपत्ति का प्रतिशत, प्रति परिवार परिसंपत्तियों का औसत मूल्य (एवीए):

परिवारों की व्यावसायिक श्रेणी	संपत्ति रखने वाले परिवारों का %	प्रति परिवार एवीए (000' रु.)
(1)	(2)	(3)
		ग्रामीण
खेतिहर	100.0	2,207
गैर-कृषक	98.6	785
सभी	**99.4**	**1,592**
		शहरी
स्व नियोजित	99.7	4,151
अन्य	97.3	2,211
सभी	**98.0**	**2,717**
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019		

(ii) व्यावसायिक श्रेणी के परिवारों के लिए नियत पूंजी व्यय (एफसीई) रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत और प्रति परिवार एफसीई की औसत राशि (रु.)

परिवारों की व्यावसायिक श्रेणी	एफसीई रिपोर्ट करने वाले परिवारों का %	प्रति परिवार एफसीई की औसत राशि (रु.)
(1)	(2)	(3)
		ग्रामीण
खेतिहर	45.1	10,689
गैर-कृषक	21.5	6,712
सभी	**34.9**	**8,966**
		शहरी
स्व नियोजित	25.3	15,899
अन्य	11.0	9,070
सभी	**14.7**	**10,863**
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019		

(iii) बैंक में जमा खाता रखने वाली वयस्क आबादी (18 वर्ष और उससे अधिक) का प्रतिशत:

लिंग	ग्रामीण	शहरी
(1)	**(2)**	**(3)**
पुरूष	88.1	89.0
महिला	80.7	81.3
व्यक्ति	**84.4**	**85.2**
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019		

(iv) ग्रामीण और शहरी भारत में विभिन्न व्यावसायिक श्रेणी के परिवारों के लिए दिनांक30.06.2018 की स्थिति के अनुसार ऋणग्रस्तता की घटना (आईओआई), प्रति परिवार ऋण की औसत राशि (एओडी) और प्रति ऋणग्रस्त परिवार एओडी (एओडीएल):

परिवारों की व्यावसायिक श्रेणी	आईओआई (%)	एओडी (रुपए)	एओडीएल (रुपए)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
			ग्रामीण
खेतिहर	40.3	74,460	1,84,903
गैर-कृषक	28.2	40,432	1,43,557
सभी	**35.0**	**59,748**	**1,70,533**
			शहरी
स्व नियोजित	27.5	1,79,765	6,52,768
अन्य	20.6	99,353	4,82,162
सभी	**22.4**	**1,20,336**	**5,36,861**
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019			

अनुबंध-II

दिनांक 01.12.2021 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 537 के भाग (ड़) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रेडिट एजेंसी के प्रकार द्वारा दिनांक30.06.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया नकद ऋण की राशि का प्रतिशत वितरण:

क्रेडिट एजेंसी	**बकाया नकद ऋण का % वितरण**	
	ग्रामीण	**शहरी**
(1)	**(2)**	**(3)**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	41.9	68.4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5.7	1.3
सहकारी समिति/बैंक	4.6	2.0
सहकारी बैंक	5.3	5.0
बीमा कंपनी	0.1	1.3
भविष्य निधि	0.0	0.1
नियोक्ता	0.1	0.3
वित्तीय संस्था	1.9	3.0
एमएफआई सहित एनबीएफसी	2.0	3.9
बैंक से जुड़े एसएचजी/जेएलजी	3.5	1.0
गैर-बैंक लिंक्ड एसएचजी/जेएलजी	0.4	0.2
अन्य संस्थागत एजेंसियां	0.5	0.7
सभी संस्थागत एजेंसियां	**66.1**	**87.1**
मकान मालिक	1.1	0.1
कृषि साहूकार	6.3	0.3
पेशेवर साहूकार	16.5	6.9

क्रेडिट एजेंसी	**बकाया नकद ऋण का % वितरण**	
	ग्रामीण	**शहरी**
इनपुट सप्लायर	0.3	0.1
रिश्तेदार और दोस्त	6.8	4.1
चिट फंड	0.2	0.3
मार्केट कमीशन एजेंट/व्यापारी	0.6	0.2
अन्य	2.0	0.9
सभी गैर-संस्थागत एजेंसियां	**33.8**	**12.9**
सभी एजेंसियां	**100.0**	**100.0**
स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 588: अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण-2019		